

¹[या भारतीय पोस्टल आर्डर] के रूप में होगी, जो लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी को संदेय होगा।

4. For providing the information under sub-section (1) of Section 7, the fee shall be charged by way of cash against proper receipt or by demand draft or bankers cheque ¹[or Indian Postal Order] payable to the Accounts Officer of the public authority at the following rates :—

- (a) rupees two for each page (in A-4 or A-3 size paper) created or copied;
- (b) actual charge or cost price of a copy in larger size paper;
- (c) actual cost or price for samples or models; and
- ²[(d) for inspection of records, no fee for the first hour; and a fee of rupees five for each subsequent hour (or fraction thereof).]

4. धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिये फीस, निम्नलिखित दर पर, जो समुचित रसीद के विरुद्ध नकद के रूप में या मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चैक ¹[या भारतीय पोस्टल आर्डर] के रूप में होगी जो लोक प्राधिकारी के किसी लेखा अधिकारी को संदेय होगा, प्रभारित की जाएगी :—

- (क) तैयार किए गए या प्रतिलिपि किए गए प्रत्येक (ए-4 या ए-3 आकार) कागज के लिये दो रुपये;
- (ख) बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत कीमत;
- (ग) नमूनों या माडलों के लिये वास्तविक लागत या कीमत; और
- ²[(घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिये, पहले घंटे के लिये कोई फीस नहीं; तथा उसके पश्चात् प्रत्येक घंटे (या उसके भाग) के लिये रुपये पाँच;]

5. For providing the information under sub-section (5) of Section 7, the fee shall be charged by way of cash against proper receipt or by demand draft or bankers cheque ¹[or Indian Postal Order] payable to the Accounts Officer of the public authority at the following rates :—

- (a) for information provided in diskette or floppy rupees fifty per diskette or floppy; and
- (b) for information provided in printed form at the price fixed for such publication or rupees two per page of photocopy for extracts from the publication.

5. धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन किसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिये फीस, निम्नलिखित दर पर, जो समुचित रसीद के विरुद्ध नकद के रूप में या मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चैक ¹[या भारतीय पोस्टल आर्डर] के रूप में होगी जो लोक प्राधिकारी के किसी लेखा अधिकारी को संदेय होगा, प्रभारित की जाएगी :—

- (क) डिस्कट या फ्लॉपी में सूचना उपलब्ध कराने के लिये, प्रति डिस्कट या फ्लॉपी, पचास रुपये; और
- (ख) मुद्रित प्ररूप में दी गई सूचना के लिये, ऐसे प्रकाशन के लिये नियत कीमत पर या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो प्रति के प्रति पृष्ठ के लिये दो रुपये।

1. Ins. vide Notfn. GSR 294 (E) dt. 17-5-06.

2. Subs. vide Notification F. No. 34012/8(5) 2005-Estt. (B) dt. 27-10-2005 [Published in Gazette of India Extraordinary Part II, Section 3 (i) No. 442 dt. 28-10-2005].